संख्या 3383 / 11/11/2010

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

फाइल संख्या–आई–13561

नवीनीकरण संख्या–1160/2010–2011

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि *महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्,*

जनपद– गोरखपुर, (उ0 प्र0)

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या ***386/1964–1965***

दिनांक ***25/08/1964*** *को दिनांक* ***10/10/2010*** *से पॉच वर्ष की अवधि के लिए*

नवीनीकृत किया गया हैं।

200.00 *रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।*

दिनांक– ***11.11.2010***

11.11.10

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

संख्या – 5031

दिनांक : 18/2/09

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

फाइल संख्या–**जी–35871**

*नवीनीकरण संख्या–**1541/2008–2009***

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि ***महाराणा प्रताप महाविद्यालय***

जंगलघूसड़ जनपद–गोरखपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 988/2003–2004

दिनांक 27.01.2004 को दिनांक 27.01.2009 से पांच वर्ष की अवधि

के लिए नवीकृत किया गया है।

240.00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।

दिनांक 11..02.2009

11.02.09

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

(संशोधित)

प्रतिलिपि जोत चकबन्दी आकर पत्र 23 भाग–१(नियम) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना (चकबन्दी– खतौनी)

ग्राम जंगल धूसड़ तप्पा [illegible] परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर

1	2	3	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	20	२१	२२	23	२४
८१.	महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़	सेक्र	[illegible] १३६९	८२	१६४४	०५२१	०६९१	०५३०	१६४	३६७०							सेक्र	प्रथम चक					
					८६३	०५८६	०५८६	-										४४४मि	०१११	१६४	६६८		
					६५०/१	०१५४	०१५४	—	-	—								द्वितीय चक					
					६५२/२	०६२६	०६२६	—	-	—								८४९	०६७६	१५४	२८०४		
					६६४ मि	०६३	०६३										सम्पूर्ण योग	२	०८०६	-	३५६२		
				योग	५	२८८१	२३३१	०५३०	-	३६७०	६८८५												

सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित वैधानिक शुल्क जमा किया
22/6/2010

(मुहर: सहायक चकबन्दी अधिकारी ... सदर - गोरखपुर)
(मुहर: ... सिंह चकबन्दी ...)

नकल खतौनी ग्राम जंगल घुसड़ तप्पा खुरहट
परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर
फसली बावत 1400 से 1405 फसली तक

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	भौमिक अधिकरण वर्ष	गाटा सं0	क्षेत्रफल	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश यदि कोई हो	विवरण
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10 11 12	13
69	कृषिक माध्यमिक	सन 1386	श्रेणी 1(क) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर				
	विद्यालय जं० घुसड़ टोला	फ०	४४४	१-४६		आदेश च० अ० महोदय मु०नं० ९६१ / १०-१९८८ को आदेश हुआ कि	
	हसनगंज		८६३	१-२०		गाटा सं० ९६६ / ०-१८ बन्दोबस्त क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण	
			९५०मि०	२-३६		खाता सं० 69 से साम्यभाव में निरस्त है। ह० अपठनीय	
			९५२मि०	१-८६		(नोट जो० च० अ० के 23 भा० 1 ... है)	
			९६५मि०	०१८			
			९६६मि०	०१८		आदेश श्रीमान च० अ० महोदय धारा 52 अ(2) वाद सं० २५४, २२।३।८४	
			६	6-२६	६४-८५	आदेश हुआ कि ग्राम जं० घुसड़ के खाता 69 में दर्ज खातेदार कृषक माध्यमिक विद्यालय जं० घुसड़ के नाम को गाटा सं० ४४४/१-४६, ८६३/१-२०, ९५०मि०/२-३६, ९५२मि०/१-८६ के स्थान पर महाराणा प्रताप महाविद्यालय जं० घुसड़ का नाम अभिलेख में दर्ज हो। ह० अपठनीय	
	प्रमाणित ह० अपठनीय 10-06-10 नागेन्द्र प्रसाद पटेल सहायक चकबन्दी अधिकारी					नकल मुताबिक असल के है। ह० अपठनीय उजरत वसूल पाया। ह० अपठनीय	वकील सिंह चकबन्दी लेखपाल

FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये
TWO RUPEES

$\frac{13}{14}$ = ६ ई०

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, गोरखपुर

वाद संख्या 12/09 — महाराजा प्रताप महाविद्यालय जं० धूसड़ बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 143 बावत जं० धूसड़ तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील जिला — गोरखपुर

ता० फै० 14/5/09

नकल आदेश दि० 14/5/09 की धारा प्रति लिखना है —

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर।

वाद सं0- 12 /-09 अन्तर्गत धारा-143 बाबत मौजा जं0 धूसड़ तप्पा महाराणा प्रताप महा विद्यालय कुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर। जं0 धूसड़ ।

बनाम

सरकार।

आदेश
======

प्रस्तुत वाद डा0 प्रदीपराव प्राचार्य, महाविद्यालय जंगल धूसड़ ,गोरखपुर द्वारा धारा-143 ज0वि0 अधि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम के अर्न्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। कि मौजा जं0 धूसड़ तप्पा कुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में स्थित भूखण्ड सं0-444,863,950,952 को आबादी घोषित किया जाय।

उक्त के संबंध में तहसील से आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलआख्या दिनांक-14-5-09 में यह उल्लिखित किया गया है कि विवादित आराजी सं0-444/-0-06हे0,863/-0-486हे0,950मि0/-0-954हे0 तथा 952मि0/-0-756हे0 कुल क्षेत्रफल 2-257हे0है ।आराजियात के कुछ हिस्से में महाविद्यालय भवन बना हैतथा शेष भूमि चहारदिवारी के अन्दर है, जिसमें खेल का मैदान, सायकिल/मोटर सायकिल स्टैड आदि है। जमीन महा बिद्यालय के कब्जे में है।

उक्त विवादित भूमि के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी सराय गुलरिया, गोरखपुर नें अपनें आख्या दिनांक-12-5-09 में उल्लिखित किया है कि चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक (सी0च0-18)भूमि है तथा मालियत नहीं लगा है।उक्त भूमि पर महा विद्यालय भवन स्थित है। किसी नें कोई आपत्ति नहीं किया है। विवादित आराजियात पर कृषि कार्य नहीं होता है।तहसील आख्या एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सराय गुलरिया, गोरखपुर की रिपोर्ट से वादी के कथन की पुष्टि होती है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है और भूखण्ड सं0-444/-0-06हे0,863/-0-486हे0,950मि0/-0-954हे0 तथा 952मि0/-0-756हे0 कुल क्षेत्रफल-02-257हे0 को आबादी घोषित किया जाता है।वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

ह0 14/05/09

(अरूण कुमार)
उप जिलाधिकारी-सदर
गोरखपुर।

सत्य प्रतिलिपि
ह0
उप जिलाधिकारी सदर
गोरखपुर
14/5/09

डा0 प्रदीपराव
287
14-5-09
14-09
210
14-5-09
14-09

प्रतिलिपिकर्ता ह0
तुलनाकर्ता

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर ग्राम जंगल धूसड़, तप्पा खुटहर, परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) शहर क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में आता है जो विकास खण्ड चरगावाँ के अन्तर्गत है।

महाविद्यालय की भूमि गाटा संख्या 444/1–46, 863/1–20, 950/2–36, 952/1–87, 975/0–18, 977/0–19 कुल रकबा 6–89 एकड़ भूमि एक ही स्थान पर सटा हुआ उपलब्ध है। इस भूमि का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हो रहा है। महाविद्यालय भवन का निर्माण जून, 2005 में हो चुका है।

17-06-2010
नागेन्द्र प्रसाद पटेल
सहायक चकबन्दी अधिकारी

नजरी नक्शा पटवारी
ग्राम -- जंगल धूषड़
तप्पा - खुरहट
परगना - हवेली
तह० - सदर
जिला - गोरखपुर

प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग गोरखपुर
दी० द० उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय

Department of History
D.D.U. Gorakhpur University
Gorakhpur

प्राचार्य
महाविद्यालय
गोरखपुर

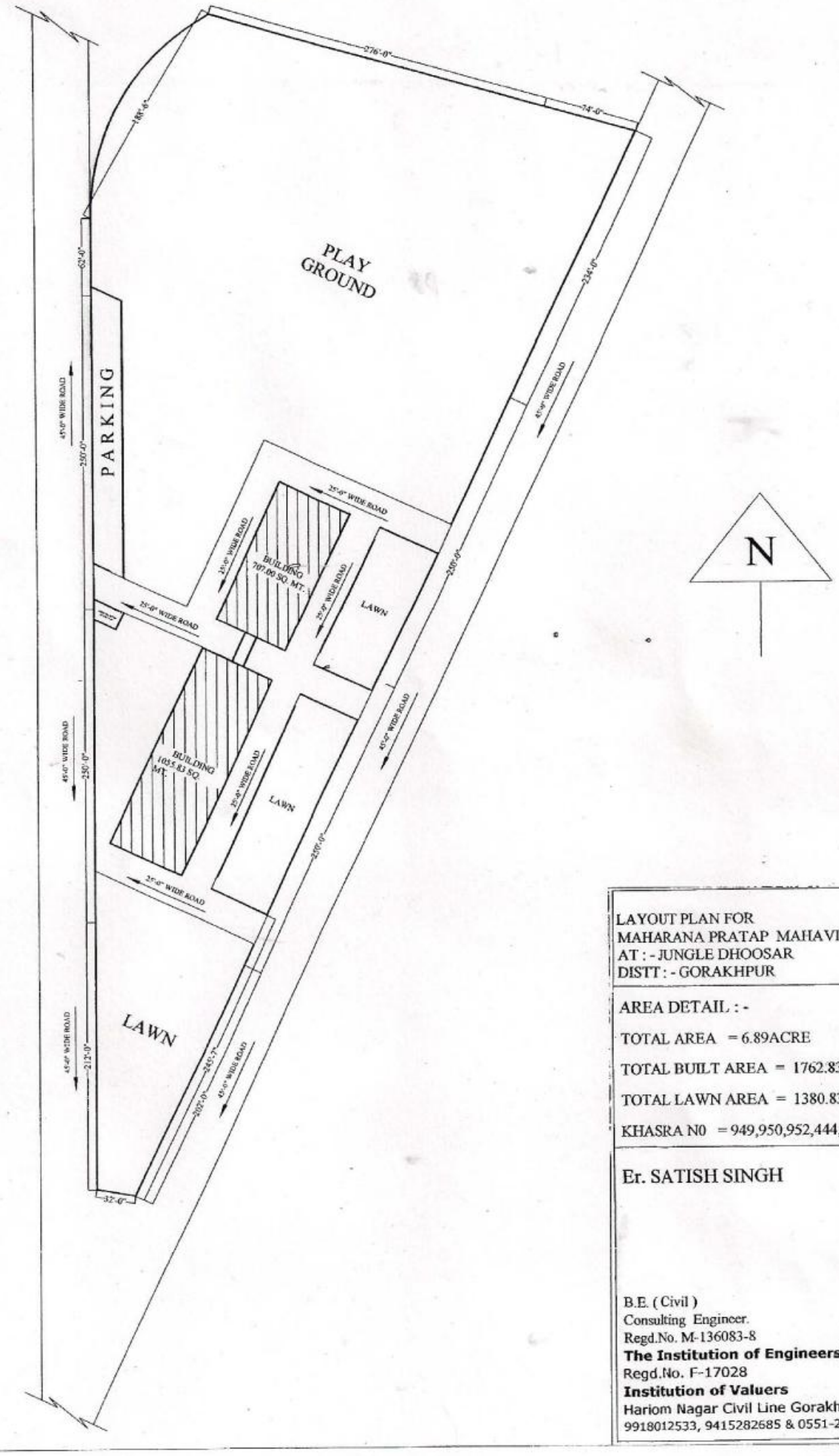

LAYOUT PLAN FOR
MAHARANA PRATAP MAHAVIDYALAYA
AT : - JUNGLE DHOOSAR
DISTT : - GORAKHPUR

AREA DETAIL : -

TOTAL AREA = 6.89ACRE

TOTAL BUILT AREA = 1762.83 Sq.Mt.

TOTAL LAWN AREA = 1380.83 Sq.Mt.

KHASRA N0 = 949,950,952,444,863,

Er. SATISH SINGH

B.E. (Civil)
Consulting Engineer.
Regd.No. M-136083-8
The Institution of Engineers(India)
Regd.No. F-17028
Institution of Valuers
Hariom Nagar Civil Line Gorakhapur
9918012533, 9415282685 & 0551-22003500

संख्या–4630 / सत्तर–6–2004–2(405) / 2004 56

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 25 जनवरी, 2005

विषयः नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम की स्थापना / संचालन क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 9833 / सम्बद्धता / 2004 , दिनांक 04.12.2004 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल–धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं वाणिज्य संकाय में बी0काम0 तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

(1) उक्त पाठ्यकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) उक्त पाठ्यकम श्री कुलाधिपति / श्री राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

(3) उक्त पाठ्यकम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(5) उक्त पाठ्यकम के बाबत किसी लायबिलिटी में राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

कमशः........2

(6) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त पाठ्यकम का संचालन संस्था द्वारा अनापत्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि ग्राम जंगल–धूसड़ तप्पा खुटहन, परगना–हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के नाम अंकित गाटा संख्या–444/1.46, 863/1.20, 950 मि0/2.36, 952 मि0/1.87 , जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल–6.89 हेक्टेअर भूमि पर निर्मित भवन में किया जायेगा। अन्य स्थान/भूखण्ड पर संचालन की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

2. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–। (1)/70–6–2004, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्धक, प्रस्तावित महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल–धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल).
संयुक्त सचिव

विशेष वाहक / स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

संख्याः / सत्ताईस–34(2008–09) दिनांक 23 अगस्त, 2010

विषयः **नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम की स्थापना / संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र सं० 7924 / सत्ताईस–34(2008–09) दिनांक 23 जुलाई, 2010 द्वारा **महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 3 अतिरिक्त विषयों (कम्प्यूटर सांइस, सांख्यिकी, इलेक्ट्रानिक्स) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन इतिहास व **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर **रसायन विज्ञान** विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2010 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु पूर्वानुमति / अनापत्ति प्रदान की गयी है।

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिनांक 20.08.2010 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि अनापत्ति पत्र के प्रस्तर–7 में महाविद्यालय केनाम अंकित भूमि में कुछ त्रुटियां हो गई है। कृपया महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि की प्रमाणित खतौनी के अनुरूप उक्त अनापत्ति पत्र दिनांक 23.07.2010 के पैरा–7 में संशोधन करने की कृपा करें।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सदर, गोरखपुर को पत्र सं० 8714 / सत्ताईस–34(2008–09) दिनांक 21.08.2010 प्रेषित करके यह आख्या मांगी गयी कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण के नाम राजस्व अभिलेखों में कौन–कौन से गाटे अंकित है तथा उनका गाटावार रकबा एवं कुल रकबा कितना है।

तहसीलदार सदर, गोरखपुर ने क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 21.08.2010 को सत्यापित करते हुए आख्या दिनांक 21.08.2010 प्रेषित किया है, जिसके अनुसार **स०च०अधिकारी, सराय गुलरिया के अनुसार ग्राम जं०धूसड़ की आराजी सं० 444 क्षे० 1.46 व 863 / 1.20, 950 / 2.36, 952 / 1.87 कुल क्षेत्रफल 6.89 एकड़ भूमि पर महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जं०धूसड़, गोरखपुर के नाम अंकित है। महाविद्यालय का भवन आ०सं० 950 / 2.36 पर निर्मित है तथा शेष आ०सं० 863 / 1. 20, 444 / 1.46 व 952 / 1.87 एक दूसरे से सटे हुए हैं एवं उपरोक्त भूमि का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हो रहा है।**

तहसीलदार, सदर, गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.08.2010 के आधार पर इस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति पत्र सं० 7924 / सत्ताईस–34(2008–09) दिनांक 23 जुलाई, 2010 के प्रस्तर–7 को निम्नानुसार संशोधित पढ़ा जाय – **"उक्त पाठ्यक्रम का संचालन महाविद्यालय**

के नाम भूमि ग्राम जंगल धूसड़, तप्पा खुटहन, परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में अंकित भूमि आराजी सं० 444 क्षे० 1.46 व 863/1.20, 950/2.36, 952/1.87 कुल क्षेत्रफल 6.89 एकड़ भूमि पर निर्मित भवन में किया जायेगा। अन्य भू-खण्ड या स्थान पर पाठ्क्रम के संचालन की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।" यह आख्या पूर्व प्रेषित अनापत्ति पत्र सं० 7924/सत्ताईस-34(2008-09) दिनांक 23 जुलाई, 2010 का एक भाग रहेगी।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी०पी०श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त(न्यायिक),
कृते आयुक्त।

संख्याः 8755/सत्ताईस-34(2008-09) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

23-8-10
(वी०पी०श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त(न्यायिक),
कृते आयुक्त।

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.सा./ ७४८ /जी.एस.
दिनांक ०१/०६/ २००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्र संख्या-१२६३-६४/सम्बद्धता/२००५ दिनांक १३.४.२००५ के संदर्भ में आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के 'परन्तुक' के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूसड़, पादरी बाजार,गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी,अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान,रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान,वनस्पति और गणित विषयों एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी.काम पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से आगामी ... वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय आगामी १५ जुलाई २००५ तक निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में ... समस्त कमियों को पूरा करा लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. महाविद्यालय द्वारा नियमित शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति कर ... पर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
३. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
४ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३ ... (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
५ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। उपरोक्त समस्त कमियाँ महाविद्यालय द्वारा आगामी १५.७.२००५ तक पूर्ण कर ली जायें।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र० ..., न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. प्राचार्य महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूसड़, पादरी बाजार,गोरखपुर

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव.

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 1070 /जी.एस.
दिनांकः 9 /10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांकः १३७०–७१/सम्बद्धता/२००६ दिनांक १५–०७–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ की धारा–३७(२) के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अँग्रेजी, अर्थशास्त्र,प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि महाविद्यालय व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत् महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– अध्यक्ष/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2746 /जी.एस.
दिनांक: 12/01/2007

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक:१३७०–७१/सम्बद्धता/२००६ दिनांक १५–०७–२००६ एवं पत्रांक:२१७४–७५/सम्बद्धता/२००६ दिनांक ०६–१२–२००६ के सदर्भ में तथा इस कार्यालय व्दारा निर्गत पत्र संख्या: ई०स०–१८७०/जी०एस० दिनांक ०६–१०–२००६ के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७(२) के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशो का पालन करेगी।

२– यदि महाविद्यालय व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– अध्यक्ष/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

संख्या–3819 / सत्तर–6–2010–2(639) / 2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2010

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3353 / सम्बद्धता / 2010, दिनांक 20.09.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन अतिरिक्त विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस, सांख्यिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–3819(1) / सत्तर–6–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–3815/सत्तर–6–2010–2(640)/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2010

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3340/सम्बद्धता/2010, दिनांक 20.09.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्राचीन इतिहास विषय में तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन विज्ञान विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–3815(1)/सत्तर–6–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

फोन : कार्यालय – 0551–2340363

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक :

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर ।

सेवा में,

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

पत्र संख्या :/1658-69/सम्बद्धता/2005

दिनांक : 08 /जून /2005

विषय : स्नातक स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र** एवं **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान** एवं **प्राणि विज्ञान** तथा **वाणिज्य संकाय** के अन्तर्गत **बी0 काम0** के विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलाधिपति के विशेष सचिव के पत्र सं0 ई0स0/788/जी0एस0 दिनांक: 01–06–2005 द्वारा दिनांक 01–07–2005से आगामी तीन वर्षो के लिये स्नातक स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र** एवं **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान**, एवं **प्राणि विज्ञान** तथा **वाणिज्य संकाय** के अन्तर्गत **बी0 काम0** के विषयों में आपके महाविद्यालय को सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त के स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त/शर्तों को लगातार पूरा करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है । इसी कम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उर्पयुक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

कमांक	विषय	वर्ग	छात्र संख्या	कमांक	विषय	वर्ग	छात्र संख्या
स्नातक कला संकाय				स्नातक विज्ञान संकाय			
1	हिन्दी	1	80	1	भौतिक विज्ञान	1	60
2	अंग्रेजी	1	80	2	रसायन विज्ञान	2	120
3	अर्थशास्त्र	1	80	3	गणित	1	60
4	प्राचीन इतिहास	1	80	4	वनस्पति विज्ञान	1	60
5	राजनीतिशास्त्र	1	80	5	प्राणि विज्ञान	1	60
6	भूगोल	1	40	स्नातक वाणिज्य संकाय			
7	समाजशास्त्र	1	80	1	बी0 काम0	1	80

अतः तदनुसार अवगत होवें ।

भवदीय

कुलसचिव
8/6/05

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
2. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय।

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांकः 238–41 / सम्बद्धता / 2007 दिनांकः 13.04.2007

सेवा में,
प्राचार्य,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विषयः **स्नातक** स्तर पर **वाणिज्य** संकाय में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलाधिपति के विशेष सचिव के पत्र संख्याः ई0 स0–2746 / जी0 एस0 दिनांकः 12.01.2007 द्वारा महाविद्यालय को **स्नातक** स्तर पर **वाणिज्य** संकाय के अन्तर्गत **बी0 काम0** के विषयों में आपके महाविद्यालय को दिनांकः 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त / शर्तों को लगातार पूर्ण करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त / शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
3. प्रबन्धक सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव
12-4-07

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 2176-79 /सम्बद्धता/2006

दिनांक: 09.12.2006

सेवा में,
प्राचार्य,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विषयः **स्नातक** स्तर पर **कला** एवं **विज्ञान** संकाय में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलाधिपति के अनु सचिव के पत्र संख्याः ई० स0–1870/जी0 एस0 दिनांकः 09.10.2006 द्वारा महाविद्यालय को **स्नातक** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्रा0 इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल** एवं **समाजशास्त्र** तथा **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान** एवं **प्राणि विज्ञान** विषयों में आपके महाविद्यालय को दिनांकः 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त/शर्तों को लगातार पूर्ण करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
3. प्रबन्धक सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांकः 3545 / सम्बद्धता / 2010
दिनांकः 3 / 12 / 2010

सेवा में,

प्राचार्य,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूसण,
गोरखपुर।

विषयः **स्नातकोत्तर** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **प्राचीन इतिहास** एवं **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **रसायन शास्त्र** विषय में एक वर्ग तथा अतिरिक्त एक वर्ग के कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–3815/सत्तर–6–2010–2(640)/2010 दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन **स्नातकोत्तर** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **प्राचीन इतिहास** एवं **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **रसायनशास्त्र** विषय में दिनांक 01.07.2010 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति दिनांक 17.11.2010 एवं कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 29.11.2010 द्वारा उपरोक्त विषयों में अतिरक्त एक वर्ग प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय **सत्र 2010–11** हेतु प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि महाविद्यालय एक वर्ग तथा अतिरिक्त एक वर्ग के मानकानुसार प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय से उनका अनुमोदन प्राप्त करेगा अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् ही अगले शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय को कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

स्नातकोत्तर–कला

क्र0	विषय	वर्ग	छात्र संख्या
1	प्राचीन इतिहास	02	120

स्नातकोत्तर–विज्ञान

क्र0	विषय	वर्ग	छात्र संख्या
1	रसायनशास्त्र	02	40

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
2. विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
5. प्रबन्धक सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांकः 3544 /सम्बद्धता/2010
दिनांकः 3 / 12 /2010
3/12/2010

सेवा में,

प्राचार्य,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूसण,
गोरखपुर।

विषयः **स्नातक** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय **मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन** एवं **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **कम्प्यूटर साइंस, सांख्यिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स** अतिरिक्त विषय में एक वर्ग तथा अतिरिक्त एक वर्ग के कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–3819/सत्तर–6–2010–2(639)/2010 दिनांक 27 सितम्बर, 2010 द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन **स्नातक** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन** एवं **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **कम्प्यूटर साइंस, सांख्यिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स** विषय में दिनांक 01.07.2010 से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति दिनांक 217.11.2010 एवं कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 29.11.2010 द्वारा उपरोक्त विषयों में अतिरक्त एक वर्ग प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय **सत्र 2010–11** हेतु प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि महाविद्यालय एक वर्ग तथा अतिरिक्त एक वर्ग के मानकानुसार प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय से उनका अनुमोदन प्राप्त करेगा अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् ही अगले शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय को कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तो को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

स्नातक–कला

क्र0	विषय	वर्ग	छात्र संख्या	क्र.सं.	विषय	वर्ग	छात्र संख्या
1	मनोविज्ञान	02	80	2	इतिहास	02	160
3	रक्षा अध्ययन	02	80				

स्नातक–विज्ञान

क्र0	विषय	वर्ग	छात्र संख्या	क्र.सं.	विषय	वर्ग	छात्र संख्या
1	कम्प्यूटर साइंस	02	80	2	सांख्यिकी	02	80
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	02	80				

भवदीय,
कुलसचिव
3/12/10

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिष्ठाता कला संकाय, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
2. अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य दी0 द0 उ0 गो0 वि0 वि0 गोरखपुर।
5. प्रबन्धक सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव

कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

पत्रांक 5159/सम्बद्धता/2011
दिनांक 12/11/2011

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय						
1	बी0काम0	6	–	180+60 (20x3)	240	
	योग	–	–	–	240	
स्नातकोत्तर स्तर विज्ञान संकाय						
1	रसायनशास्त्र	6	–	–	30	
स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय						
1	प्राचीन इतिहास	6	–	–	120	

भवदीय,

12/11/11

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समन्वयक, बेबसाइट।
2. प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल।
3. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
4. अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय।
5. अधिष्ठाता, कला संकाय।
6. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय।
7. अध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग।
8. अध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग।

कुलसचिव

कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

पत्रांक 5149/सम्बद्धता/2011
दिनांक 12/11/2011

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

सेवा में,

प्राचार्य
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल घूषड़, गोरखपुर।

विषय:– महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल घूसड़, गोरखपुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय में इतिहास तथा मनोविज्ञान विषयों को सम्मिलित करते हुए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन इतिहास एवं रसायनशास्त्र विषय के अन्तर्गत संशोधित सीटें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 02.07.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी के आदेशानुसार महाराणा प्रताप स्नातोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रक्षा अध्ययन, मनोविज्ञान एवं इतिहास विषयों में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं रसायनशास्त्र विषयों में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 4152/सम्बद्धता/2011 दिनांक 01.07.2011 तथा पत्रांक संख्याः 9339/सम्बद्धता/2011 दिनांक 25.06.2011 द्वारा प्राप्त शिक्षक अनुमोदन के आधार पर शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु पूर्व में जारी पत्रांक संख्या 5080/सम्बद्धता/2011 दिनांक 19.10.2011 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित सीटें आवंटित की जाती है–

महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसण, गोरखपुर						
स्नातक स्तर कला संकाय						
1	हिन्दी	2	180+60	60+20	80	एक वर्ग/कक्षा में सीटों/छात्रों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी।
2	राजनीतिशास्त्र	1	180	60	60	
3	अंग्रेजी	1	180	60	60	
4	प्राचीन इतिहास	1	180	60	60	
5	भूगोल	2	180+60	60+20	80	
6	समाजशास्त्र	2	180+60	60+20	80	
7	अर्थशास्त्र	3	180+120 (60x2)	60+40	100	
8	मनोविज्ञान	3	180+120 (60x2)	60+40	100	
9	इतिहास	3	180+120 (60x2)	60+40	100	
10	रक्षाध्ययन	2	180+60	60+20	80	
	योग	–	–	–	**800**	
स्नातक स्तर विज्ञान संकाय						
1	गणित	2	180+60	60+20	80	एक वर्ग/कक्षा में सीटों/छात्रों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी।
2	भौतिकी	2	180+60	60+20	80	
3	रसायनशास्त्र	3	180+180+60 (60x1)	60+60+20	140	
4	प्राणि विज्ञान	1	180	60	60	
5	वनस्पति विज्ञान	2	180+60	60+20	80	
6	कम्प्यूटर साइंस	2	180+60	60+20	80	
7	इलेक्ट्रानिक्स	2	180+60	60+20	80	
	योग	–	–	–	**600**	

प्रशासनिक योजना
महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर।

1. संस्था का नाम : महाराणा प्रताप महाविद्यालय

2. संस्था का पूरा पता : महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जं० धूसड़, गोरखपुर होगा।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः– अधोलिखित विवरण के अनुसार संस्था के सदस्यों के कुल चार वर्ग होंगे।

(क) आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को 500/– रू0 के बराबर अचल सम्पत्ति या नगद मुबलिक 500/– रू0 निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगा वह समिति की स्वीकृति पर संस्था के आजीवन सदस्य होगा।

(ख) विशिष्ट सदस्य– संस्था के लिये उपयोगी, प्रभावशाली ऐसे कर्मठ व्यक्ति जिन्हें समिति नामित करेगी संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे।

(ग) सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से संस्था को प्रतिवर्ष 50/– रू0 देगा वह समिति की स्वीकृति पर संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

(घ) प्रोत्साहक सदस्य– ऐसे प्रमुख समाज सेवी जो संस्था के हितार्थ सर्वदा प्रेरणा व मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हें समिति की स्वीकृति होने पर रू0 11/– मात्र शुल्क लेकर प्रोत्साहक सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति– अधोलिखित स्थितियों में समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि–

(क) सदस्य का स्वर्गवास हो जाता है।
(ख) वह पागल, दिवालिया, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाता है।
(ग) वह न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाता है।
(घ) वह सदस्यता शुल्क जमा नहीं करता है।
(ड) वह प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा 2/3 बहुमत से निकाल दिया जाता है।

6. संस्था के अंग– संस्था के अधोलिखित दो अंग होंगे–
(1) साधारण सभा
(2) प्रवन्धकारिणी समिति।

(1) साधारण सभाः–

(क) गठनः– संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ख) बैठकः– साधारण सभा की बैठक साल में एक बार होगी। आकस्मिक बैठक 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना अवधिः– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पहले सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को यू0पी0सी0 डाक से दी जायेगी। विशेष बैठक की सूचना समयानुसार 7 दिन पूर्व सभी लोगों को डाक से दी जायेगी।

मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जं० धूसड़ - गोरखपुर

प्रवन्धक/मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

दिन पूर्व सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराकर तथा अखबार में छपा कर दोनों प्रकार से दी जायेगी।

(4) रिक्त स्थानों की पूर्तिः–

प्रवन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर की जायेगी।

7. प्रवन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः–

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट तैयार करना एवं पास करना।
(2) संशोधन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना।
(3) संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
(4) कर्मचारियों का अधिनियम, परिनियम एवं शासनादेश के अन्तर्गत नियुक्ति एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
(5) आडीटर की नियुक्ति करना।

8. कार्यकालः–

प्रवन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा कार्यकाल की समाप्ति पर साधारण सभा द्वारा प्रवन्धकारिणी समिति का पुनः गठन किया जायेगा। पुनः गठन के लिये जाने तक प्रवन्धकारिणी कार्य संचालन करती रहेगी। हर सूरत में 3 माह के अंदर प्रवन्धकारिणी समिति का गठन कर लिया जायेगा।

9. प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

(1) अध्यक्षः–

संस्था/साधारण सभा का अध्यक्ष ही प्रवन्धकारिणी समिति का भी अध्यक्ष होगा।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

(क) संस्था के बैठकों का सभापतित्व करना।
(ख) बैठकों में समान मत आने पर निर्णायक मत देना।
(ग) समिति की बैठक के लिये दिन एवं स्थान निश्चित करना तथा बैठक स्थगित करना इसके साथ ही साथ संस्था के हित के अन्य कार्य करना।
(घ) अध्यक्ष सम्पूर्ण सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेदार होगा तथा समय–समय पर सोसाइटी के हर सदस्य/पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करेगा ताकि सोसाइटी सही रूप से चल सके।
(ड) सोसाइटी के विरूद्ध होने वाले सभी मुकदमों की पैरवी करना/कराना।
(च) सोसाइटी की ओर से समस्त कागजात, महत्वपूर्ण बिलों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार में अनुदान हेतु प्रस्तावों को भेजना एवं उस पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकार का प्रयोग करना

3. मंत्री/प्रबन्धकः–

(क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्ष के निर्देशानुसार व्यवस्था एवं कार्यवाही करना।
(ख) रसीद एवं वहियों का निरीक्षण एवं रख–रखाव करना।

मन्त्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जं० धूसड़ - गोरखपुर

प्रबन्धक/मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

(ग) संस्था की सभी बैठकों की कार्यवाही को लिखना एवं अध्यक्ष से प्रमाणित कराना।

4. सहमंत्री– मंत्री की अनुपस्थिति में सहमंत्री उसके सभी अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

5. कोषाध्यक्ष–
(1) आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना।
(2) अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों के भुगतान की व्यवस्था करना
(3) अध्यक्ष के आदेशानुसार समस्त धन किसी क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

6. प्राचार्य का अधिकार– प्राचार्य संस्था के प्रधान के रूप में सभी कार्य करेगा और प्रवन्ध समति के प्रति संस्था के प्रवन्धक के माध्यम से कार्य करने के लिये उत्तरदायी होगा–

(1) यह आन्तरिक व्यवस्था के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा संस्था का अनुशासन इसमें निहित होगा।
(2) छात्रों का प्रवेश करना, छात्रों को दण्ड देना, निष्कासित करने के लिये निमयानुसार कार्यवाही करना, पाठ्यपुस्तक तथा लाइब्रेरी एवं वाचनालय के लिये किताबों और मैगजीनों का चयन करना, टाइम टेबल बनाना, स्टाफ के लोगों का काम निर्धारित करना, छात्रों के परीक्षा सम्बन्धी कार्य नियमानुसार करना। महाविद्यालय के हर प्रकार के रजिस्टर को ठीक रखना और कालेज का प्रगति–पत्र तैयार करना, हाविद्यालय के लिये कोष्ठोपकरण औजार आदि की मांग प्रस्तुत करना। उनकी मरम्मत कराना, क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्य सामग्री व्यवस्था करना,, छात्रों के स्वास्थ्य एवं इलाज की व्यवस्था करना। स्टाफ मेम्बर की सेवाओं का शिक्षा काम में तथा विद्यालय प्रांगण के भीतर उपयोग करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार नियुक्त करना। छात्रावास पर अधीक्षक छात्रावास के माध्यम से नियंत्रण रखना।
(3) अध्यापकों, लिपिकों, लाइब्रेरियन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चरित्र पंजी और सेवा पंजिका का रखरखाव करना। चरित्र पंजी में प्रविष्टि करना तथा प्रतिकूल प्रविष्टि से सम्बन्धित व्यक्ति को अवगत कराना, शिक्षक, लिपिक, लाइब्रेरियन पर नियंत्रण रखना तथा निरीक्षण करना एवं नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करना।
(4) सभी छात्र निधि का नियंत्रण करना जैसे– वाचनालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रवृत्ति आहरण और वितरण।
(5) वित्तीय तथा अन्य मामलों में जिसके लिये वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है प्राचार्य को कमेटी के निर्देशों का पालन करना होगा जो प्रवन्धक के द्वारा उसे दिया जायेगा

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–
(1) संशोधन हेतु साधारण सभा का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक होगा।
(2) संशोधन की प्रति साधारण सभा के समक्ष रखी जायेगी तथा इस पर सदस्यों के सुझाव मांगे जायेंगे।

मन्त्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जं० धूसड़ - गोरखपुर

प्रबन्धक/मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

साधारण सभा का गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी जिससे सभा का कोरम पूरा माना जायेगा।

साधारण सभा का अधिकार एवं कर्तव्यः–

(1) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
(2) आगामी वर्ष के लिये आय–व्यय का बजट पास करना।
(3) गत वर्ष के आय–व्यय पर विचार कर उसकी पुष्टि करना।
(4) संस्था की नियमावली में कोई भी संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
(5) आय–व्यय का निरीक्षक नियुक्त करना।
(6) साधारण सभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष करना।

2. प्रबन्धकारिणी समितिः–

(1) गठनः–

अ.
(क) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन किया जायेगा।
(ख) प्रबन्ध समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबन्धक तथा 8 सदस्य होंगे।

ब.
(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा
(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी हैं)
(ग) अध्यापक (खण्ड ख में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर) चक्रानुक्रम में ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य (ग प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।)
(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे।
(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
(च) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी/न्यास/बोर्ड मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिये तैयार है।
(छ) परिनियम 13.06 में निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिये उपलब्ध होगी।

(2) बैठकः–

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में 1 बार होगी। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

(3) सूचना अवधिः–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व यू0पी0सी0/पंजीकृत डाक से एवं विशेष बैठक की सूचना 3

मन्त्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जं० धूसड़ - गोरखपुर

प्रबन्धक/मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

बहुमत होता है ...

(5) सभी संशोधन कुलपति के अनुमति के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

11. संस्था का कोषः– संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस अथवा किसी क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर उसमें जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा। बैंक की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):– संस्था के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त आडिटर से कराया जायेगा।

13. संस्था के विरूद्ध प्रस्तुत वादों में तथा संस्था के तरफ से प्रस्तुत किये जाने वाले वादों की पैरवी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

हस्ताक्षर

दिनांक– ....

मन्त्री

महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जं० धूसड़ - गोरखपुर

प्रबन्धक/मंत्री
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांकः 4340 / सम्बद्धता / 2011

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

दिनांकः 25/06/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूषण, गोरखपुर

विषयः **प्रबन्ध समिति की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.03.2011 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत चुनाव की तिथि दिनांक 18.03.2011 से पाँच वर्ष या सोसाइटी नवीनीकरण की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नवत होंगे :–

1	श्री महन्त अवेद्यनाथ	अध्यक्ष
2.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री योगी आदित्यनाथ	प्रबन्धक / सचिव
4.	श्री प्रमोद चौधरी	सदस्य
5.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
6.	श्री पारसनाथ मिश्रा	सदस्य
7.	श्री प्यारे मोहन सरकार	सदस्य
8.	श्री गोरक्ष प्रताप सिंह	सदस्य
9.	श्री योगी कमलनाथ	सदस्य
10.	डॉ0 मायाशंकर सिंह	सदस्य
11.	श्री राम जन्म सिंह	सदस्य
12.	प्राचार्य (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
13.	शिक्षक प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
14.	शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य

अतः तद्नुसार अवगत होवें।

भवदीय,

कुलसचिव
23/6/11

फोन : कार्यालय – 0551–2340363
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1139/सम्बद्धता/2006 दिनांक : 28/जून/.2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्राचार्य चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **डा0 प्रदीप कुमार राव** को प्राचार्य पद पर चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :–

1. महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सस्था में नियुक्त प्राचार्य को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : 1.. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 ई,2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च,2005 की प्रति।

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551–2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 900 /सम्बद्धता/2006

दिनांक : 07/जून/.2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :–

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डा0 प्रदीप कुमार राव	प्रा0 इतिहास
2.	डा0 विजय कुमार चौधरी	भूगोल
3.	श्री आशुतोष कुमार सिंह	समाजशास्त्र
4	कु0 ज्योति वर्मा	हिन्दी
5	श्री रजनीश मिश्र	अर्थशास्त्र
6	डा0 आर0 एन0 सिंह	प्राणि विज्ञान
7	डा0 स्नेह लता त्रिपाठी	वनस्पति विज्ञान
8	डा0 शिव कुमार बर्नवाल	रसायन विज्ञान
9	श्री सुनील कुमार पाठक	भौतिक विज्ञान
10	डा0 अलका श्रीवास्तव	गणित
11	डा0 अरविन्द कुमार शुक्ला	वाणिज्य

2. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2 (85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
3. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
4. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

संलग्नक : 1.. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 ई,2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च,2005 की प्रति

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक....5133......../सम्बद्धता/2011 दिनांक...8./11/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर।

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत सांख्यिकी विषय में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ0 राजेन्द्र तिवारी	प्रवक्ता, सांख्यिकी

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव 2/11/11

02/11/2011

फोन : कार्यालय – 0551–2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1125 / सम्बद्धता / 2006 दिनांक : 27/ जून / .2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :–

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	श्री लोकेश कुमार प्रजापति	प्रा0 इतिहास
2.	डा0 अच्युत कुमार सिंह	अर्थशास्त्र
3.	डा0 अविनाश प्रताप सिंह	राजनीतिशास्त्र
4	श्री अमरेन्द्र कुमार	भौतिक विज्ञान

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2 (85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : 1.. शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 ई,2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च,2005 की प्रति

कुलसचिव
26.6.06

फोन : कार्यालय – 0551–2340363
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1126 /सम्बद्धता/2006

दिनांक : 27/जून/.2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 09.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :–

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डा0 रत्नेश कुमार पाण्डेय	अंग्रेजी

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2 (85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सस्था में नियुक्त समरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : 1.. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 ई,2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च,2005 की प्रति।

कुलसचिव
16/6/06
2/16-6-06

फोन : कार्यालय – 0551–2340363
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1351 /सम्बद्धता/2006

दिनांक : 12/जुलाई/.2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :–

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डा0 जय गोपाल पाण्डेय	रसायन विज्ञान

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2 (85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : 1.. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 ई,2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक 11 मार्च,2005 की प्रति

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक: 2140 /सम्बद्धता/2006 दिनांक: 04/12/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषयः प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 18.10.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:–

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा0 कृष्णदेव	प्रवक्ता बी0 काम0
2.	श्री मनीष कुमार कन्नौजिया	प्रवक्ता बी0 काम0

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

2/10/XII/02

कुलसचिव

179 . फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांकः 1958 /सम्बद्धता/2008 दिनांकः 23/09/2008

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूसड़, गोरखपुर।

विषय : स्नातक स्तर पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रवक्ता चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांकः 30.08.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की हैः-

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ० राजेश शुक्ला	प्रवक्ता वाणिज्य
2.	श्री गौतम प्रसाद	प्रवक्ता वाणिज्य
3.	श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय	प्रवक्ता अर्थशास्त्र
4.	डॉ० (श्रीमती) आरती सिंह	प्रवक्ता हिन्दी
5.	श्री प्रकाश प्रियदर्शी	प्रवक्ता समाजशास्त्र

१. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांकः 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशो के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

३. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 केअन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांकः 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

उपकुलसचिव

20.9.08

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पत्र [illegible] की संख्या दिनांक तथा सम्बद्ध विभाग का नाम दिया [illegible]

पत्रांक: 1178 / सम्बद्धता / 2007 दिनांक: 25 / 09 / 2007

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय: स्नातक स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 27.07.2007 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा0 विवेक शुक्ला	प्रवक्ता गणित
2	डा0 अभय कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान
3	कु0 दिव्या पाण्डेय	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
4	डा0 प्रतिन्द्र कुमार	प्रवक्ता भूगोल

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण--पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर--2--2005--2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों से शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:
1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2--2000--2(85)/97 दिनांक 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2--2005-2(85)/97 दिनांक 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक 4152 / सम्बद्धता / 2011

दिनांक 1/7/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषयः स्नातकोत्तर स्तर पर **कला एवं विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं रसायन विज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 05.05.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री लोकेश कुमार प्रजापति	प्राचीन इतिहास
2.	डॉ0 मुरली मनोहर तिवारी	प्राचीन इतिहास
3.	डॉ0 भारती सिंह	प्राचीन इतिहास
4.	कु0 प्रीति तिवारी	प्राचीन इतिहास
5.	कु0 शालिनी चौधरी	प्राचीन इतिहास
6.	डॉ0 अशोक कुमार शाही	प्राचीन इतिहास
7.	डॉ0 ब्रजभूषण मिश्र	रसायन विज्ञान
8.	डॉ0 शिव कुमार बर्नवाल	रसायन विज्ञान
9.	डॉ0 शालिनी सिंह	रसायन विज्ञान
10.	डॉ0 राम सहाय	रसायन विज्ञान
11.	डॉ0 गीता सिंह	रसायन विज्ञान
12.	डॉ0 सुनील कुमार सिंह	रसायन विज्ञान

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

30/6/11 30/6/11

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक 4339 / सम्बद्धता / 2011 दिनांक 23/6/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषयः स्नातक स्तर पर **कला एवं विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 05.05.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री शशिकांत सिंह	रक्षा अध्ययन
2.	श्री जितेन्द्र कुमार	रक्षा अध्ययन
3.	श्री सुनील कुमार मिश्र	मनोविज्ञान
4.	श्री अभय प्रताप सिंह	मनोविज्ञान
5.	श्री कृष्ण राज शर्मा	मनोविज्ञान
6.	श्री सन्तोष कुमार	भौतिक विज्ञान
7.	डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह	इतिहास
8.	डॉ0 अशोक कुमार उपाध्याय	इतिहास
9.	डॉ0 मयंक श्रीवास्तव	इतिहास

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव
23/6/11 23/6/11

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक 4663 ..../सम्बद्धता/2011

दिनांक 8/8/2011

सेवा में,
प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल घूसड़, गोरखपुर

विषयः स्नातक स्तर पर **वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 04.07.2011/22.07.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

प्रवक्ता – वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री प्रमोद प्रेमदास सुखदेवे	प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस
2.	श्री रामेश्वर पति	प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस
3.	श्री सुभाष कुमार गुप्त	प्रवक्ता वाणिज्य
4.	डॉ0 अजय कुमार शर्मा	प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स
5.	डॉ0 रमापति मिश्र	प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

06/08/2011

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक 4808 / सम्बद्धता / 2011 दिनांक 29/8/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल घूसड़, गोरखपुर

विषयः स्नातक स्तर पर **कला एवं विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 29.06.2011 एवं 29.07.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

प्रवक्ता – कला एवं विज्ञान संकाय

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री शुभ्रांशु शेखर सिंह	प्रवक्ता रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
2.	श्रीमती कविता मध्याह्न	प्रवक्ता अंग्रेजी

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

29/08/2011

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक....5133......./सम्बद्धता/2011 दिनांक..8./11/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर।

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत सांख्यिकी विषय में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ0 राजेन्द्र तिवारी	प्रवक्ता, सांख्यिकी

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

3/11/11

कुलसचिव

02/11/2011

23236351, 23232701, 23237721, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

www.ugc.ac.in

F.8-20/2007 (CPP-I)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

June, 2007

22 JUN 2007

The Registrar,
Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University,
Gorakhpur-273 009 (U.P).

Sub:- List of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956- Inclusion of New Colleges-

Sir,

I am directed to refer to the letter No. महा0प्र0महा0/0170/2006-07 dated 21.05.2007 received from the College on the subject cited above and to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head Non-Government Colleges teaching upto Bachelor's Degree:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, **Gorakhpur-273 014 (U.P).** (On permanent affiliation)	2004	The College is **not** eligible to receive Central assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 as the UGC has not yet finalised the details to provide financial assistance to **"Self Financed Colleges".**

The Indemnity Bond and other documents in respect of the above College have been accepted by the Commission.

Yours faithfully,

(Mrs. Urmil Gulati)
Under Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur-273 014 (U.P).
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001.
3. The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Higher Education, Lucknow (U.P).
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau, 35, Ferozshah Road, New Delhi.
5. Publication Officer, (UGC-Website), New Delhi.
6. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
7. All Sections, U.G.C, New Delhi.
8. Guard file.

(Mrs. Urmil Gulati)
Under Secretary

Ph. 23236351, 23232701, 23237721
23234116, 23235733, 23232317
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)
UGC Website: *www.ugc.ac.in*

SPEED POST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

F. No. 8-20/2007 (CPP-I/C)

August, 2010

3 0 AUG 2010

The Registrar,
D.D.U. Gorakhpur University,
Gorakhpur – 273 009,
Uttar Pradesh.

Sub: - Declaring a College fit to receive Central Assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter dated 19.07.2010 received from the Member of Parliament, Lok Sabha, 123-125, North Avenue, New Delhi – 110 001 on the above subject and to say that it is noted that the following college is un-aided/self financed and permanently affiliated to D.D.U. Gorakhpur University. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head 'Non Government Colleges teaching upto Bachelor's Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur - 273 014, (Uttar Pradesh).	2004	The college is already included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 vide this office letter No. F. 8-20/2007 (CPP-I) dated 22.06.2007. The college is now declared fit to receive Central Government grants from other sources, even if it does not receive grants from UGC due to paucity of funds as decided by the Commission at its meeting held on 4th May, 2010.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(S.C. Chadha)
Deputy Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Maharana Pratap Mahavidyalaya, Jungle Dhusan, Gorakhpur - 273 014, (Uttar Pradesh).
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
3. The Secretary (Higher Education), Government of Uttar Pradesh, 8B, Navin Bhawan, UP Sachivalaya, Lucknow – 226 001, (Uttar Pradesh).
4. The Joint Secretary, UGC, Northen Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi – 110 001.
5. Publication Officer (Website-UGC), New Delhi.
6. Section Officer (F.D.-III Section), U.G.C., New Delhi
7. All Sections, U.G.C, New Delhi.
8. Guard file.

(Sunita Gulati)
Section Officer

CIVIL ENGG. SERVICES

Chief consultant
Er. Satish Singh
G.D.A. Approved Engg.
Secr etary: Rastria Cop. Housing Society Ltd

12 Palika Market
Mohaddipur,Gorakhpur
Off- 2203500, 2209934
Res- 2200132, 2204401

Building Plan, & Design
Construction, Estimation
Valuation , Pest control,
Structural Design

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that The provision for earth quake seismic zone 4th treatment has been made in structural design & Construction of building of Maharana Pratap Mahavidyalaya ,Jungle Dhusan Gorakhpur.

DATE – 13 -05- 2010

PLACE – Gorakhpur

SIGN.

Er. Satish Singh
REG. NO. 4/G.D.A. /94

Er. SATISH SINGH
B. E. (Civil)
Regd N-F-4 (GDA) 94
Regd. No-88/GKP/03-04/I
Hariom Nagar Gorakhpur

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्र संख्या अनापत्ति सी0एफ0ओ0 2009 दिनांक 26.11.2009

सेवा में,

प्रधानाचार्य / व्यवस्थापक

महा राणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़

गोरखपुर।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 23.11.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आप अपने शिक्षण संस्थान में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्था का निरीक्षण कर अनापति प्रमाण–पंत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त विषयक संदर्भ में आपके शिक्षण संस्थान में स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो संस्थान में स्थापित सभी प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण / यंत्र / स्थाई अग्नि शमन व्यवस्था कार्यशील व संतोषजनक दशा में पाये गये।

अतः अनापति प्रमाण पत्र जनहीत की दृष्टिकोण से इस आशय से निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त सभी अग्नि शमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा प्रत्यके वर्ष अग्नि शमन विभाग से सत्यापित कराकर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायी सम्बन्धित व्यवस्थापक का होगा। व्यवस्था अकार्यशील दशा मे यह प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

26.11.2009

वी० के० शर्मा

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी

गोरखपुर

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
ए–46,शांति पथ तिलक नगर,जयपर,
राजस्थान।

संख्याः /आशुलि(प्र0)–2011 दिनांकःमार्च 10,2011

विषयः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मानचित्र ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के सन्दभ्र में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0 एनआरसी/एनसीटीई/2010/एनआरसी एपीपी–700/डीएल/2483 दिनांकः18–1–2011 का संदर्भ ग्रहण करें जो महाराणा प्रताप महा–विद्यालय जंगल घूसड़–गोरखपुर के सम्बन्ध में बी0टी0सी0 (डी0एल0एड0) पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हेतु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मानचित्र स्वीकृत करने की ग्राम प्रधान की अधिकारिता सम्बन्धी तथ्य स्पष्ट करने सम्बन्धी है। इस क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2231/पंचायत/ग्रा0पं0मानचित्र/2010–11 दिनांकः27–1–11 (छाया प्रति संलग्न)द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें अथवा ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार के भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नही हैं।

अतः तत्क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को किसी भी भवन के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नही है और ग्राम पंचायत में बनने वाले भवनों के प्रति किसी भी प्रकार से मानचित्र स्वीकृत करने की अधिकारिता सम्बन्धी कोई शासनादेश विद्यमान नही है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

संख्याः 160 (1)/आशुलि(प्र0)–2011 दिनांकित

प्रतिलिपि प्राचार्य महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल घूसड़,गोरखपुर को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड– गोरखपुर

निरीक्षण आख्या

प्राचार्य '**महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगल धूसड़ जनपद – गोरखपुर** के पत्र दिनांक 02.04.2012 के क्रम में विद्यालय भवन की जांच की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज, जंगलधूसड़ **जनपद – गोरखपुर** के भवन का निर्माण जी/जी प्जस वन/जी प्लस टू श्रेणी के हैं जो नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया 2005 के फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के आर्टिकिल 3:1:3(ए) के अन्तर्गत 3:2:5:1 एवं 3:2:5:3 से आच्छादित होता है। अग्निशमन सम्बन्धित आख्या अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिया जाता है।

अधिशासी अभियंता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
प्रखण्ड – गोरखपुर

पत्रांक 58 / ग्रा0अ0वि0/भूकम्परोधी/2012–13/ दिनांक 17-4-12
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को सूचनार्थ।

Executive Engineer
Rural Engg. Deptt.
Division-Gorakhpur

अधिशासी अभियंता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
प्रखण्ड – गोरखपुर